::संशोधित आदेश::

कोविड–19 संक्रमण की रोकथाम हेतु नगर निगम ऋषिकेश, देहरादून एवं छावनी परिषद गढीकैन्ट व क्लेमनटाऊन क्षेत्रान्र्तगत दिनांक 26 अप्रैल 2021 (सोमवार) की सांय 07 बजे से दिनांक 03 मई 2021(सोमवार) प्रातः 05 बजे तक प्रभावी **कोरोना कर्फ्यू संबंधी** इस कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 3424/सीपीओ– डीएम– 2021 में निम्नलिखित बिन्दुओं का भी समावेश भी रहेगाः–

1– कोरोना कर्फ्यू अवधि में निजी वाहनों के साथ–साथ **सार्वजनिक वाहनो का** आवागमन भी प्रतिबन्धित रहेगा ।

2– फल,सब्जी की दुकानें, डेरी, बेकरी, मीट–मछली (वैध लाईसेंसधारी), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने तथा पशुचारा की दुकानो के साथ–साथ **अण्डे की दुकाने** भी अपरान्ह 04 बजे तक ही खुली रह सकेगी ।

3– मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा ।

4– अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड–19 निगेटिव रिर्पोट की अनिवार्यता होगी।

5– आपातकालीन वाहन, आवश्यक सेवा के वाहन तथा माल वाहक वाहनों का आवगमन अनुमन्य है, इसलिए इन्हें रोका नही जायेगा।

6– औद्योगिक इकाई से संबंधित कार्मिक एवं वाहनो को नही रोका जायेगा ।

7– समस्त बैंकिग सेवाये, वित्तीय संस्थान एवं बीमा कम्पनी के कार्मिकों एवं उनके वाहनो को संबंधित शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी ।

अतः कार्यालय के पूर्व आदेश संख्याः 3424/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक 25.4.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित व समावेशित समझा जाय। शेष आदेश यथावत रहेगा ।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय–जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 3441/सीपीओ–डीएम–2021 दिनांक : 26 ,अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2– अपर मुख्य सचिव महोदया, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ।
3– सचिव महोदय, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4– सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
5–आयुक्त महोदय,गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को सादर सूचनार्थ।
6– समस्त जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून/संबंधित थानाध्यक्ष को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9–नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून/ऋषिकेश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, छावनी परिषद गढ़ीकैन्ट/ क्लेमनटाउन।
10–अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/प्रशासन, देहरादून।
11–उप जिला मजिस्ट्रेट ऋषिकेश/देहरादून/नगर मजिस्ट्रेट देहरादून।
12–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को जन सामान्य के संज्ञानार्थ समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
14–अन्य सभी सम्बन्धितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।